भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 274**

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय: किसानों को कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं**

**274. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अधिकतर किसान गरीब हैं और उनके पास बहुत छोटी भूमि जोत है और खेती के उन्नत तरीकों के बारे में प्रौद्योगिकी और ज्ञान दोनों तक उनकी पहुंच नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों को कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के तहत राज्य-वार कितने किसानों को शिक्षा प्रदान की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के अंतर्गत किसानों का कवरेज बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क): कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भूमि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है। 86 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे और सीमांत भूमि जोत पर कार्य कर रहे हैं। सरकार मुख्य रूप से कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) स्कीम और कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के रूप में ज्ञात केंद्र प्रायोजित स्कीम "विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहयोग" के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से किसानों को कृषि शिक्षा प्रदान करती है।

ख): एटीएमए स्कीम का उद्देश्य राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग करना और विभिन्न विस्तार गतिविधियों यथा; किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरे, किसान मेला, किसान समूहों को संगठित करके तथा फार्म स्कूल आदि के आयोजन के माध्यम से किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि तकनीकें और अच्छी कृषि पद्धतियां उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत, छोटे और सीमांत किसान श्रेणी से कम से कम 50% लाभार्थियों का चयन करने का प्रावधान है। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) देश के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकारों के विस्तार अधिकारियों और कृषक महिलाओं सहित किसानों के बीच प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करते हैं।

(ग): पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (31 अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान एटीएमए स्कीम और केवीके के तहत विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से लाभान्वित किसानों का विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** पर है।

(घ): मौजूदा एटीएमए दिशानिर्देश, 2025 में यह प्रावधान है कि कवरेज की सीमा देश भर के सभी जिलों तक होगी। अधिक से अधिक किसानों तक पहुँच बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, फसलोपरांत प्रौद्योगिकी, विपणन, डिजिटल विस्तार जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है। इसी प्रकार, कवरेज बढ़ाने के लिए, आईसीएआर ने किसान सारथी (कृषि-सूचना संसाधन प्रणाली, स्वचालित प्रसारण और प्रौद्योगिकी हब इंटरफ़ेस) नामक एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है, जो किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों, ज्ञान-भंडार और बड़ी संख्या में विषय-वस्तु विशेषज्ञों के साथ एक सहज, मल्टीमीडिया, बहु-मार्गीय संपर्क प्रदान करता है।

**अनुबंध-I**

**पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम (एटीएमए) के तहत लाभार्थी किसानों का विवरण**

| क्र. सं. | राज्य /संघ राज्य क्षेत्र | लाभान्वित किसानों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 98,711 |
| 2 | बिहार | 21,13,949 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 2,27,189 |
| 4 | गोवा | 34,087 |
| 5 | गुजरात | 7,72,526 |
| 6 | हरियाणा | 81,600 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 1,19,941 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 1,20,355 |
| 9 | झारखंड | 1,44,829 |
| 10 | कर्नाटक | 5,90,109 |
| 11 | केरल | 2,87,202 |
| 12 | महाराष्ट्र | 13,71,441 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 6,71,107 |
| 14 | ओडिशा | 2,74,101 |
| 15 | पंजाब | 2,36,040 |
| 16 | राजस्थान | 7,76,389 |
| 17 | तेलंगाना | 13,962 |
| 18 | तमिलनाडु | 20,33,677 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 18,73,552 |
| 20 | उत्तराखंड | 1,64,955 |
| 21 | पश्चिम बंगाल | 7,67,740 |
| 22 | असम | 1,76,250 |
| 23 | अरुणाचल प्रदेश | 1,40,324 |
| 24 | मणिपुर | 60,126 |
| 25 | मेघालय | 91,672 |
| 26 | मिजोरम | 20,139 |
| 27 | नागालैंड | 2,11,012 |
| 28 | त्रिपुरा | 74,239 |
| 29 | सिक्किम | 25,510 |
| 30 | दिल्ली | 6,025 |
| 31 | पुडुचेरी | 25,347 |
| 32 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 33,089 |
| 33 | लद्दाख | 5,877 |
| कुल: - | | 1,36,43,072 |

**अनुबंध-II**

**पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के तहत लाभान्वित किसानों का विवरण**

| **क्र. सं.** | **राज्य /संघ राज्य क्षेत्र** | **प्रशिक्षित किसानों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 8,668 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 2,78,431 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 88,606 |
| 4 | असम | 1,12,251 |
| 5 | बिहार | 7,27,509 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 3,67,131 |
| 7 | दिल्ली | 4,518 |
| 8 | गोवा | 16,839 |
| 9 | गुजरात | 3,46,981 |
| 10 | हरियाणा | 1,67,631 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 1,13,043 |
| 12 | जम्मू और कश्मीर | 1,46,736 |
| 13 | झारखंड | 2,91,470 |
| 14 | कर्नाटक | 4,86,839 |
| 15 | केरल | 3,87,532 |
| 16 | लद्दाख | 36,388 |
| 17 | लक्षद्वीप | 2,673 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 4,64,061 |
| 19 | महाराष्ट्र | 7,09,485 |
| 20 | मणिपुर | 39,798 |
| 21 | मेघालय | 56,216 |
| 22 | मिजोरम | 51,410 |
| 23 | नागालैंड | 46,047 |
| 24 | ओडिशा | 2,20,361 |
| 25 | पुडुचेरी | 12,280 |
| 26 | पंजाब | 1,18,806 |
| 27 | राजस्थान | 3,22,083 |
| 28 | सिक्किम | 19,708 |
| 29 | तमिलनाडु | 5,66,907 |
| 30 | तेलंगाना | 1,82,840 |
| 31 | त्रिपुरा | 41,258 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 8,39,014 |
| 33 | उत्तराखंड | 71,787 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 3,12,763 |
| **कुल** | | **76,58,070** |

*****